न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 207/2025

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

बीरम पुत्र मोहनलाल, निवासी-उग्रपुरा, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़

अभियुक्त....

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181, 134/187, 146/196 एमवी एक्ट

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री दुर्गाशंकर गोयल, श्री अश्विनी कुमार मेवाड़ा विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 18-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 व धारा 3/180, 5/181, 146/196 एमवी एक्ट का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11-03-2025 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20-04-2024 को फरियादी राकेश ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना अकलेरा में इस आशय की पेश की कि वह बरेड़ीखुर्द, थाना अकलेरा का रहने वाला है। दिनांक 14.04.2024 को शाम 7.00 पीएम के लगभग की बात है कि वह व उसके परिवार का ही चाचा भीमराज पुत्र अमरलाल, निवासी बरेड़ीखुर्द दोनों उनके गांव के नरेन्द्र मीणा की बहन की शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे थे कि एनएच 52 पर गोपाल मीणा के ढाबे के पास चल रहे थे। इतने में ही पीछे अकलेरा की तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को तेज गति गफलत लापरवाही से चलाकर लेकर आया। रोड़ के साईड में चलते हुए भीमराज के टक्कर मारी। भीमराज के सिर में चोट आने से मौके पर ही बेहोश हो गया। मोटरसाईकिल चालक दुर्घटना कारित से नाम पता उसने व मौके पर मौजूद लोगों ने ढाबा वाले गोपाल ने पूछा तो उसने अपना नाम बीरमचंद पुत्र मोहनलाल, निवासी उग्रपुरा(पीपलखोह) थाना घाटोली होना बताया। मौके से भीमराज को बेहोशी हालत में सफाखाना अकलेरा लेकर आए जहां से निरोगधाम हॉस्पिटल अकलेरा लेकर गए जहां से रेफर करने पर उसी रात को भीमराज को जयसवाल हॉस्पिटल कोटा लेकर गए जहां पर भीमराज का ईलाज चल रहा है। भीमराज का सिर का ऑपरेशन हुआ व भीमराज अभी भी सिर की अन्दरूनी चोट से कोमा में है। अब तक वह भी भीमराज के साथ कोटा था।, इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 198/2024, अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर

अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181, 134/187, 146/196 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181, 134/187, 146/196 एमवी एक्ट के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 अनिल कुमार, पी.डब्ल्यू. 02 जुगराज, पी.डब्ल्यू. 03 घासीलाल, पी.डब्ल्यू. 04 भीमराज, पी.डब्ल्यू. 05 डॉ. सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू. 06 दशरथ शर्मा को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 01 लगायत पी. 5 व पी. 05ए तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि वक़्त दुर्घटना, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक कौन था। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्त ने दिनांक 14-04-2024 को समय दिन के 07.00 पीएम करीब मौजा एनएच 52 पर गोपाल मीणा के ढाबे के पास अकलेरा वाहन मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी 08 एम.ए 6214 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर रोड़ के साईड में चल रहे फरियादी के चाचा भीमराज के टक्कर मारी, जिससे उसके शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा

उक्त वाहन मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी 08 एम.ए 6214 का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है तथा उक्त वाहन को यह जानते हुए चलाया कि उक्त वाहन को चलाने बाबत वैध अनुज्ञा पत्र नहीं तथा दुर्घटना कारित करने के बाद अपने कर्तव्य जो कि मजरूब को अस्पताल पहुंचाना अथवा पुलिस को इसकी जानकारी देना था, का पालन नहीं किया तथा वक्त घटना अभियुक्त द्वारा चलाए जा रहे वाहन मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी 08 एम.ए 6214 का बीमा भी नहीं था। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181, 5/180, 146/196 एमवी एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी राकेश द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि वह बरेड़ीखुर्द, थाना अकलेरा का रहने वाला है। दिनांक 14.04.2024 को शाम 7.00 पीएम के लगभग की बात है कि वह व उसके परिवार का ही चाचा भीमराज पुत्र अमरलाल, निवासी बरेड़ीखुर्द दोनों उनके गांव के नरेन्द्र मीणा की बहन की शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे थे कि एनएच 52 पर गोपाल मीणा के ढाबे के पास चल रहे थे। इतने में ही पीछे अकलेरा की तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को तेज गति गफलत लापरवाही से चलाकर लेकर आया। रोड़ के साईड में चलते हुए भीमराज के टक्कर मारी। भीमराज के सिर में चोट आने से मौके पर ही बेहोश हो गया। मोटरसाईकिल चालक दुर्घटना कारित से नाम पता उसने व मौके पर मौजूद लोगों ने ढाबा वाले गोपाल ने पूछा तो उसने अपना नाम बीरमचंद पुत्र मोहनलाल, निवासी उग्रपुरा(पीपलखोह) थाना घाटोली होना बताया। मौके से भीमराज को बेहोशी हालत में सफाखाना अकलेरा लेकर आए जहां से निरोगधाम हॉस्पिटल अकलेरा लेकर गए जहां से रेफर करने पर उसी रात को भीमराज को जयसवाल हॉस्पिटल कोटा लेकर गए जहां पर भीमराज का ईलाज चल रहा है। भीमराज का सिर का ऑपरेशन हुआ व भीमराज अभी भी सिर की अन्दरूनी चोट से कोमा में है। अब तक वह भी भीमराज के साथ कोटा था।, इत्यादि।

12- अभियोजन की ओर से प्रकरण में कुल 6 गवाह परीक्षित करवाए गए है जिनमें सर्वप्रथम गवाह भीमराज है जो कि प्रकरण भी है जो न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 04 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में मोटरसाईकिल चालक के पीछे से आकर टक्कर मारने बाबत कथन किया है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि वह न तो मोटरसाईकिल चालक को पहचानता है और न ही मोटरसाईकिल चालक का नाम जानता है।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 05 डॉ. सत्यनारायण है जिसके द्वारा थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर प्रकरण के मजरूब भीमराज के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल परीक्षण किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि प्रदर्श पी. 03 की चोटें कठोर

धरातल पर व्यक्ति अगर सिर के बल गिर जाए तो आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। गवाह पी.डब्ल्यू. 06 दशरथ शर्मा है जो कि वक्त घटना मालखाना इंचार्ज था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि मोटरसाईकिल कहां से जप्त की थी, उसे पता नहीं है, उसे थाने पर संभलाई थी। जप्ती कहां पर बनाई थी, उसे जानकारी नहीं है।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 01 अनिल कुमार है जो कि फर्द जप्ती मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी 08 एम.ए 6214 प्रदर्श पी. 01 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जप्ती के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए गए थे। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 जुगराज है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उसके नंबर उसे याद नहीं है। उन्होंने भीमराज को उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया था फिर वे उसे अस्पताल लेकर चले गए थे।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 03 घासीलाल है जो कि जुगराज के साथ मौजूद था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है उसने भीमराज को उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया था। उसे वाहन के नंबर व गाड़ी चलाने वाले का नाम पता नहीं है। गाड़ी कौन चला रहा था, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

16- इस प्रकार मजरूब एवं घटनास्थल पर मौजूद अन्य गवाहान ने इस बाबत कोई कथन नहीं किया है कि वक्त घटना किस वाहन से दुर्घटना हुई एवं उसके नंबर क्या थे। टक्कर मारने वाले वाहन को कौन चला रहा था, इस बारे में कोई कथन नहीं किया है। फरियादी ने स्वीकार किया है कि वह मोटरसाईकिल चालक को नहीं पहचानता है और ना ही मोटरसाईकिल चालक का नाम जानता है। अभियोजन अधिकारी द्वारा फरियादी राकेश का नाम अभियोजन सूची में नहीं जोड़ा गया जिससे कि उसके द्वारा तहरीरीर रिपोर्ट की ताईद नहीं हो पाई है जो कि अभियोजन कहानी पर विपरीत प्रभाव डालती है। फरियादी राकेश को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम द्वारा अपराध किया जाना साबित नहीं हुआ है।

17- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14-04-2024 को समय दिन के 07.00 पीएम करीब मौजा एनएच 52 पर गोपाल मीणा के ढाबे के पास अकलेरा वाहन मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी 08 एम.ए 6214 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर रोड़ के साईड में चल रहे फरियादी के चाचा भीमराज के टक्कर मारी, जिससे उसके शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा उक्त वाहन मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी 08 एम.ए 6214 का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है तथा उक्त वाहन को यह जानते हुए चलाया कि उक्त वाहन को चलाने बाबत वैध अनुज्ञा पत्र नहीं तथा दुर्घटना कारित करने के बाद अपने कर्तव्य जो कि मजरूब को अस्पताल पहुंचाना अथवा पुलिस को इसकी जानकारी देना था, का पालन नहीं किया तथा वक्त घटना अभियुक्त द्वारा चलाए जा रहे वाहन मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी 08 एम.ए 6214 का बीमा

भी नहीं था। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181, 134/187, 146/196 एमवी एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18- अतः अभियुक्त बीरम पुत्र मोहनलाल, निवासी-उग्रपुरा, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़ को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181, 134/187, 146/196 एमवी एक्ट के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीज़न निरस्त समझे जाए।

19- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

20- निर्णय आज दिनांक 18-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III "Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.18 04:34:31 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।